न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

①

फर्द अहकाम

मु० नं० २२ तारीख रजू 3/7/13

उनवान - गोरधनी बनाम तहसीलदार
दावा बाबत दुरुस्ती नाम व घोषणा खातेदारी

वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv. ने दावा बाबत नाम दुरुस्ती एवं घोषणा खातेदारी पेश किया अवलोकन किया गया, दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस से तलब कर दिनांक 31.7.13 हो।

1401 / 4-7-13

उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

31/7/13 वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ है। इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नही। इसलिए इसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 12.8.13 को पेश हो।

22/10/13 पत्रावली जनरल पेशी से पेश हुई। बार एसोसियेशन की ओर से कार्य स्थगित रखा। अतः नुसार दिनांक 20-12-13 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (3)

फर्द अहकाम

पत्रावली आज लोक अदालत शिविर उदैत में पेश हुई। वादिया गोरधनी एवं हरज्ञान सिंह उपस्थित हुए। तहसीलदार टोडाभीम की ओरसे पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बालधार ने जबाब व रिपोर्ट पेश की है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि ख.नं. $\frac{459}{0.38}$, $\frac{460}{0.23}$, $\frac{461}{0.24}$, $\frac{462}{0.37}$, $\frac{463}{0.11}$, $\frac{464}{0.11}$ $\frac{465}{0.55}$, $\frac{466}{0.29}$, $\frac{467}{0.01}$, $\frac{468}{0.58}$, $\frac{469}{0.57}$, $\frac{545}{0.10}$, $\frac{557}{0.25}$ कुल किता 13 कुल रकबा 3.79 ग्राम बाद महासिंहपुरा तहसील टोडाभीम के गलखसरा नम्बर 143 रकबा 15 बीघा में वादिया गोरधनी पत्नि गयाजीत हिस्सा 1/4 की खातेदारी जमाबंदी संवत 2034-37 के खाता संख्या 28 में नामा० सं. 117 से विक्रय पत्र के आधार पर अंकन किया गया है। प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का नहीं है तथा दावा खारिज योग्य है। रिपोर्ट पैरोकार सरकार एवं जमाबंदी सं. 2034-37 के खाता संख्या 28 का अवलोकन किया। जमाबंदी में

दिनांक	फर्द अहकाम
	विक्रय पत्र के आधार पर नामा० संख्या 117 का स्पष्ट अंकन लगा हुआ है। उक्त रिपोर्ट एवं जमाबंदी का वादिया व हरज्ञान सिंह को सुनाया गया एवं अवलोकन कराया गया। इन्होंने भी यह कथन किया कि साबिक ख.नं. 143 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय की गई है। किन्तु गोरधनी तो हरज्ञान की ही पत्नि है। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन करने पर स्पष्ट प्रमाणित है कि साबिक खं.नं. 143 की भूमि गोरधनी पत्नि गयाजीत सिंह के नाम से क्रय होकर जमाबंदी में नामा० सं० 117 से दर्ज हुई है जरिये विक्रयपत्र से क्रय हुई भूमि के नाम को ~~--~~ शुद्ध किया जाना इन्द्राज दुरुस्ती की श्रेणी में नहीं आता है इस प्रकार से दावा वादीया दुरुस्ती नाम व इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 136 R.LR.Act व 88 राज० टे० एक्ट खारिज योग्य स्पष्टत: प्रतीत है।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

(5)

फर्द अहकाम

अतः दावा बाबत नाम दुरुस्ती एवं इस्तकरारहक खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर
[illegible] (करौली)